सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1)(ख) के अंतर्गत एटीएस से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना

बिन्दु संख्याः 1- एटीएस की विशिष्टियाँ, कृत्य और कार्य –

एटीएस उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विशिष्ट इकाई है। इसका मुख्यालय अमौसी रेलवे स्टेशन रोड, अनौरा, लखनऊ में स्थापित है, जिसका ई-मेल पता < atshq-up@nic.in > ,फैक्स न0 0522-2304589 तथा नियन्त्रण कक्ष का मो0न0 9792103082 एवं 7839003082 तथा हेल्प लाइन न0 9792103154 है। एटीएस में 11 ऑपरेशन टीम पी.एफ.आई./ साउथ टेरर, सिमी/ आई.एम., कश्मीर & पाक टेरर, नक्सल , एफ.आई.सी.एन. , बंग्ला-म्यामार , अलकायदा , खालिस्तान , सी.ई.जी. , आई.एस.आई.एस, डीरेडिक्लाइजेशन तथा 17 फील्ड यूनिट जनपद लखनऊ , कानपुर नगर , झाँसी प्रयागराज , वाराणसी , अयोध्या , अलीगढ़ , आगरा , बरेली , मुरादाबाद , सहारनपुर , मेरठ , नोयडा , गोरखपुर , आजमगढ़,श्रावस्ती एवं बहराइच में स्थापित हैं। एटीएस का थाना अमौसी रेलवे स्टेशन रोड अनौरा मुख्यालय में स्थित है। जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है।

1-ऑपरेशन टीम अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में मोबाइल ह्वाट्स ऐप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्वीटर आदि के माध्यम से सम्बन्धित आतंकवादी संगठनों में छद्म रूप से घुसकर उनके क्रियाकलापों की जानकारी कर उस पर प्रभावी कार्यवाही करना ।

2- फील्ड यूनिट का कार्य अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों/ नक्सलवाद/ जाली मुद्राआदि पर नजर रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही करना है।

3-ऑपरेशन टीम एवं फील्ड यूनिटों के सहयोग के लिए एक्सपर्ट सेल,सर्विलांस सेल,मीडिया सेल एवं कन्ट्रोल रूम का गठन किया गया है।

4-उपरोक्त के अतिरिक्त 04 स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम (स्पॉट) का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा एवं बनारस हैं। स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम (स्पॉट) का कार्य सम्पूर्ण प्रदेश में कहीं भी आतंकवादी घटना होने पर उच्चाधिकरियों के निर्देश पर उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन सम्पादित करना है।

आतंकवाद निरोधक दस्ता, उत्तर प्रदेश के उद्देश्य एवं दायित्व-

उक्त शासनादेश द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ता, उत्तर प्रदेश के निम्न उद्देश्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं-

1) सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण तथा यहाँ पर सम्पर्क सूत्र विकसित करना जहाँ पर राष्ट्र विरोधी तत्व छिपने/ रहने में जगह बना सकते हैं।
2) अभिसूचनाओं का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं संकलन करना। अन्य राज्यों की इकाईयों तथा केन्द्रीय एजेन्सियों आदि से समन्वय स्थापित करना।
3) राज्य में किसी आतंकवादी ग्रुप की उपस्थिति/ गतिविधि के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करना एवं फालोअप ऑपरेशन करना। ऐसे आतंकवादी ग्रुपों की मदद करने वाले एनं उनके शरणदाताओं के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करना एवं कराना।

4) ऐसे संगठित आतंकवादी तत्वों जिनके विदेशी अभिसूचना एजेन्सियों से सम्पर्क है, की गतिविधियों का अनुश्रवण करना।
5) जाली मुद्रा, स्वचालित अग्नेयास्त्रों, हवाला (मनी लांड्रिंग) विस्फोटक पदार्थों की तस्करी करने वाले तत्वों से सम्पर्क रखने वाले माफिया तत्वों, एजेन्टों, आतंकवादी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों को निष्प्रभावी करने हेतु उनके विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कानूनी कार्यवाही करना एवं अन्य पुलिस इकाईयों में सहयोग कर कार्यवाही कराना।
6) प्रदेश के अभिसूचना विभाग के सतत सम्पर्क में रहकर प्राप्त सूचना का अनुश्रवण तथा किसी विशेष जानकारी के प्राप्त होने पर कार्यवाही कराना।
7) महत्वपूर्ण आतंकवादी घटनाओं की विवेचना एवं प्रचलित अभियोजन में सहयोग।

आतंकवाद निरोधक दस्ता, उत्तर प्रदेश की शक्तियाँ-

उक्त शासनादेश द्वारा उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते को निम्न शक्तियाँ प्रदान की गयीं है-

आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के किसी भी विभाग, शाखा एवं इकाई से अभिसूचना एवं अन्य विवरण प्राप्त किये जा सकेंगे तथा इस दस्ते का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। अपने कार्यों के सम्यक सम्पादन हेतु आतंकवाद निरोधक दस्ते के मुख्यालय को थाना के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे एवं अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी थाने में उक्त प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने एवं उसकी विवेचना स्वयं ग्रहण करने एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्राविधानों के अनुरूप पूर्ण करने में सक्षम होगा

विभिन्न श्रोतों से प्राप्त होने वाली प्रासंगिक सूचनाओं को, ऐसे कार्यों के लिये विशिष्ट रूप से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से विश्लेषित करे तथा देश-विदेश में आतंकी घटनाओं, गतिविधियों एवं सूचनाओं की समीक्षा करें। इसके अतिरिक्त संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा इण्टरनेट आदि के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान के भी इण्टरसेप्ट और विश्लेषित करे। इन सब कार्यों के लिये आतंकवाद निरोधक प्रकोष्ठ को समय-समय पर विशिष्ट प्रकार के सुपर स्पेशिलिटी विशेषज्ञों की आवश्यकता हो सकती है, जिन्हें बाजार से नियत शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त करने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

बिन्दु संख्याः 2- आतंकवाद निरोधक दस्ता, उत्तर प्रदेश के उद्देश्य एवं दायित्व-

एटीएस की प्रशासनिक संरचना निम्न प्रकार है-

अपर पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक

↓

पुलिस उपमहानिरीक्षक

↓

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक

↓

अपर पुलिस अधीक्षक

↓

पुलिस उपाधीक्षक

↓

निरीक्षक / आर.आई.

↓

उप निरीक्षक

↓

मुख्य आरक्षी

↓

आरक्षी

↓

चतुर्थ श्रेणी

<u>बिन्दु संख्याः 3- विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है</u> –

1- आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) को सुचारू रूप से संचालन एवं प्रशासन हेतु राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में उ0प्र0 पुलिस सेवा नियमावली-2016 तथा अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु उ0प्र0 पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमावली व उ0प्र0 पुलिस समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली-2009 प्रख्यापित है। इसके अतिरिक्त विभाग के कार्यों के सम्पादन हेतु समय-समय पर यथावश्यक स्थायी आदेश भी जारी किये गये हैं। साथ ही उ0प्र0 शासन, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक/ पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों /निर्देशों का पालन किया जाता है।

2- आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के विभागाध्यक्ष, यथास्थिति, अपर पुलिस महानिदेशक(कानून एवं व्यवस्था) हैं तथा कार्यालयाध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक/ अपर पुलिस महानिदेशक(एटीएस) हैं। इनके पर्यवेक्षणाधीन नियुक्त अन्य राजपत्रित अधिकारियों को विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्य एवं उत्तरदायित्व सौपें गये हैं, जिनसे विभिन्न राजकीय कार्यों का सम्पादन विनिश्चय होता है।

3- आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) में प्रशासनिक नियन्त्रण/ संचालन एवं कर्मियों में अनुशासन बनाये रखने हेतु उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली- 1991 के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

4- आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) एवं बाहरी जनपदों/ इकाइयों में स्थित एटीएस फील्ड यूनिट /थाना एटीएस में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति आदि का कार्य संगत नियमावली/ संगत शासनादेशों/ संगत विभागीय आदेशानुसार सम्पादित किये जाते है।

5- आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) अपनी डियूटी के दौरान प्राप्त अभिसूचनाओं का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण किया जाता है।

6- फील्ड यूनिट/ ऑपरेशन टीम के पर्यवेक्षण अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक होते है। जिनके पर्यवेक्षण में फील्ड यूनिट/ ऑपरेशन टीम के समस्त अराजपत्रित अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कार्य को सुचारू रूप से संचालित करते हैं।

7- पुलिस महानिरीक्षक/ अपर पुलिस महानिदेशक(एटीएस) कार्यालयाध्यक्ष की हैसियत से अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण/ अनुश्रवण करते हैं तथा अपनी आख्या विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं।

<u>बिन्दु संख्याः 4- कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान-</u>

आतंकवाद निरोधक दस्ता का दायित्व उ0प्र0 में बढ़ती हुई विभिन्न प्रकार की आतंकवादी, देशद्रोही गतिविधियों के विरुद्ध विशिष्ट अभिसूचना संकलित करके जिला पुलिस व शासन के अन्य विभाग के समन्वय से प्रभावी अभियान चलाना तथा आतंकवादी एवं देशद्रोही तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करना है। यह दस्ता आतंकवादियों के विरुद्ध विशेष कार्य बल के रुप में कार्य करेगा। शासनादेश द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ते के दायित्व व उद्देश्य निर्धारित किये गये है। आतंकवाद निरोधक दस्ता का आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही के प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार है:-

I. सुरक्षा की दृष्टि से संवदेनशील स्थानों का चिन्हीकरण तथा वहां पर सम्पर्क सूत्र विकसित करना जहाँ पर राष्ट्रविरोधी तत्व छिपने / रहने की जगह बना सकते है।
II. अभिसूचना के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं संकलन करना। अन्य राज्यों की अभिसूचना इकाईयों तथा केन्द्रीय एजेन्सियों आदि से समन्वय स्थापित करना।
III. राज्य में किसी आतंकवादी ग्रुप की उपस्थिति / गतिविधियों के सम्बन्ध में प्राप्त अभिसूचना पर कार्यवाही करना एवं फॉलोअप आपरेशन करना। ऐसे आतंकवादी ग्रुपों की मदद करने वाले एवं उनके शरण दाताओं के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करना एवं कराना।
IV. ऐसे संगठित आतंकवादी तत्वों जिनके विदेशी अभिसूचना एजेंसियों से सम्पर्क है, की गतिविधियों को अनुश्रवण करना।
V. जाली मुद्रा, स्वचालित आग्नेयस्त्रों, हवाला (मनी लांड्रिंग) विस्फोटक पदार्थ की तस्करी करने वाले तत्वों से सम्पर्क रखने वाले माफिया तत्वों, आई.एस.आई. एजेन्टों, आतंकवादी एवं राष्ट्रविरोधी तत्वों को निष्प्रभावी करने हेतु उनके विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कानूनी कार्यवाही करना एवं अन्य पुलिस इकाईयों से सहयोग कर ऐसी कार्यवाही कराना।
VI. प्रदेश के अभिसूचना विभाग के सतत् सम्पर्क में रहकर प्राप्त सूचना का अनुश्रवण तथा किसी विशेष जानकारी के प्राप्त होने पर अभिसूचना विभाग से सहयोग प्राप्त करना।
VII. महत्वपूर्ण आतंकवादी घटनाओं की विवेचना एवं प्रचलित अभियोजन में सहयोग।
VIII. राष्ट्र की एकता, अखण्डता तथा साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही जो उत्तर प्रदेश शासन / पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सौंपा जाये।

<u>बिन्दु संख्याः 5- विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले दायित्वों हेतु निर्धारित मानदण्ड</u> –

आतंकवाद निरोधक दस्ता में प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये है जो निम्न है-

5.1- अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक **–**

(क)-एटीएस एवं स्पॉट के सम्पूर्ण प्रशासनिक,अनुशासनात्मक एवं वित्तीय अधिकार।

(ख)- आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस एवं स्पॉट) की सम्पूर्ण शाखाओं / इकाईयों के कार्यालयाध्यक्ष।

(ग)- आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस एवं स्पॉट) के सभी श्रेणी के अधिकरियों / कर्मचारियों के आंतरिक स्थापना सम्बन्धी मामले, स्थानान्तरण एवं पेंशन आदि कार्यों का सम्पादन एवं अन्य नीतिगत विषयों पर निर्णय लेने में सक्षम।

5.2 – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक –

(क)- आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस एवं स्पॉट) मुख्यालय, प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग, रेडियो, थाना एटीएस एवं विवेचना व अभियोजन का पर्यवेक्षण।

(ख)- ऑपरेशनल टीम्स, फील्ड यूनिट्स एवं एक्सपर्ट सेल के कार्यों का पर्यवेक्षण।

5.3- अपर पुलिस अधीक्षक–

(क)- ऑपरेशनल टीम्स, फील्ड यूनिट्स, एक्सपर्ट सेल एवं रेडियो आदि का क्रियान्वयन/ पर्यवेक्षण।

(ख)- आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस एवं स्पॉट) मुख्यालय, प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग, थाना एटीएस, ऑपरेशनल टीम्स, फील्ड यूनिट्स एवं जनसूचना के कार्यों का क्रियान्वयन/ पर्यवेक्षण।

5.4- पुलिस उपाधीक्षक –

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों का क्रियान्वयन एवं अपने अधीनस्थ शाखा / नियुक्त समस्त अराजपत्रित अधिकारियों/ कर्मचारियों के कार्यों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण।

5.5- निरीक्षक –

अपनी शाखा में प्रभारी अधिकारी के कर्तब्यों का निर्वहन तथा उसे सतत सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाये रखने का उत्तरदायी।

5.6- उपनिरीक्षक –

शाखा प्रभारी के रूप में प्रभारी अधिकारी के कर्तब्यों का निर्वहन तथा उसे सतत सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाये रखने का उत्तरदायी तथा सहायक होने की स्थिति में शाखा प्रभारी का सहयोग।

5.7- कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) –

1. थाने पर संचालित CCTNS साफ्टवेयर एवं सम्बन्धित उपकरण के निर्वाधित संचालन।
2. कार्यालय के इलेक्ट्रानिक उपकरणों एवं उपकर्मिकाओं में आने वाली तकनीकी समस्याओं का निस्तारण।
3. तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

5.8- मुख्य आरक्षी –

(क)- कार्यालय एवं थाने में हेड मोहर्रिर/ स्टोर का रखरखाव एवं अभिलेखों का अद्यतन रखना।

(ख)- सौपे गये टास्क / जाँच / पूंछताछ आख्या / सोशल मीडिया/ भौतिक सत्यापन/ सुरागरसी सम्बन्धित कार्य एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों अनुरूप निस्तारण।

5.9- आरक्षी –

सौपे गये टास्क / जाँच / पूंछताछ आख्या / सोशल मीडिया/ भौतिक सत्यापन/ सुरागरसी सम्बन्धित कार्य एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों अनुरूप निस्तारण।

<u>बिन्दु संख्याः 6- ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण-</u>

उ0प्र0 शासन के उपरोक्त शासनादेश द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ता के मुख्यालय को थाना के समस्त अधिकार प्राप्त है, इसलिये मुख्यालय में सामान्य दैनिकी प्रचलित है जिसमें समस्त आवागमन, अवकाश तथा अभियोगो का पंजीकरण का विवरण आदि प्रचलित नियमों के अनुसार अंकित किया जाता है। इस इकाई

में सामान्य दैनिकी, आरोप पत्र, अंतिम रिपोर्ट तथा पुलिस कार्यों में प्रयोग किये जाने वाले अन्य आवश्यक प्रपत्र राजकीय प्रेस से प्राप्त किया जाता है तथा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की भाँति सभी उपरोक्त अभिलेख सरकारी सम्पत्ति रजिस्टर, मालखाना रजिस्टर, तथा कैशबुक का रख-रखाव किया जाता है।

बिन्दु संख्याः 7 व 8 –

आतंकवाद निरोधक दस्ता, उत्तर प्रदेश सरकार के सीधे आदेशों व निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करता है। विभाग के नीति-निर्धारण के कार्यों में किसी जन-प्रतिनिधि अथवा कमेटी आदि की सहमति या सलाह नहीं ली जाती है।

बिन्दु संख्याः 9 व 10- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका एवं प्राप्त मासिक पारिश्रमिक से सम्बन्धित विवरण –

आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस/ स्पाट में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों की निर्देशिका

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	सी.यू.जी.
1	डा.जी.के.गोस्वामी	पुलिस महानिरीक्षक (एटीएस)	9454400650
2	श्री बबलू कुमार	वरिष्ट पुलिस अधीक्षक (एटीएस)	9454400317
3	श्री जय प्रकाश सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)	9454401657
4	डॉ0 दिनेश यादव	अपर पुलिस अधीक्षक (तकनीकी)	9454401131
5	श्री राहुल श्रीवास्तव	अपर पुलिस अधीक्षक (एटीएस)	9454402321
6	श्री संजय शर्मा	अपर पुलिस अधीक्षक (स्पाट) प्रशिक्षण	9454404822
7	श्री शैलेन्द्र सिंह राठौर	पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)	9454401655
8	श्री अतुल कुमार यादव	पुलिस उपाधीक्षक (नोयडा)	9454401132
9	श्री सवि रत्न गौतम	पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी/ ऑपरेशन)	9454401658
10	श्री विपिन कुमार राय	पुलिस उपाधीक्षक	
11	श्री हृदयानन्द सिंह	पुलिस उपाधीक्षक (स्पॉट)	9454402324
12	श्री लायक सिंह	पुलिस उपाधीक्षक (स्पॉट)	9454402329
13	श्री अतुल कुमार ओझा	जे.डी. (एटीएस)	9454456555

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्राप्त मासिक पारिश्रमिक से सम्बन्धित विवरण –

1.1 एटीएस

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृति नियतन	उपलब्धता	वेतनमान	
				लेवल	रुपये में
1	अपर पुलिस महानिदेशक (एटीएस)	-	-	लेवल- 15	182200- 224100
2	पुलिस महानिरीक्षक (एटीएस)	01	01	लेवल- 14	144200-218200
3	पुलिस उपमहानिरीक्षक (एटीएस)	01	-	लेवल- 13	118500- 214100
4	वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक (एटीएस)	01	01	लेवल- 12	78800- 209200
5	अपर पुलिस अधीक्षक (एटीएस)	06	03	लेवल- 11	78800- 209200
6	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	01	01	लेवल- 11	78800- 209200
7	पुलिस उपाधीक्षक	11	04	लेवल- 10	67700- 191000
8	निरीक्षक/ प्रतिसार निरीक्षक	27	13	लेवल- 8 एवं 9	47600- 151100 44900- 142400

9	उपनिरीक्षक	56	22	लेवल- 7	35400- 112400
10	कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए)	-	2+2	लेवल- 4	25500- 81100
11	जूनियर साइंटिफिक आफिसर	02	-	-	-
12	मुख्य आरक्षी प्रोफिसिएन्ट	04	-	लेवल- 4	25500- 81100
13	विस्फोटक विशेषज्ञ (आ0से0)	04	-		
14	मुख्य आरक्षी (ना0पु0/ स0पु0/ पी0ए0सी0)	41	79	लेवल- 4	25500- 81100
15	आरक्षी (ना0पु0/स0पु0/ पी0ए0सी0)	302	185	लेवल- 3	21700- 69100
16	चतुर्थ श्रेणी	37	15	लेवल- 1	19900- 63200
लिपकीय संवर्ग विवरण					
17	निरीक्षक (गोपनीय/ लेखा/ लिपिक)	04	02	लेवल- 8	44900- 142400
18	उपनिरीक्षक (गोपनीय/ लेखा/ लिपिक)	09	03	लेवल- 7	35400- 112400
19	सहायक उपनिरीक्षक (लेखा/ लिपिक)	02	01	लेवल- 7	29200- 92300
20	रेडियो केन्द्र अधिकारी	01	-	लेवल- 8	44900- 142400
21	उर्दू अनुवादक	01	-	-	-
22	बंगाली अनुवादक	01	-	-	-
परिवहन शाखा के कर्मियों तथा आरक्षीगण का विवरण					
23	मुख्य आरक्षी एमटी	01	01	लेवल- 4	25500- 81100
24	मुख्य आरक्षी/ आरक्षी चालक	58	20	लेवल- 3	21700- 69100

1.2 स्पॉट

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृति नियतन	उपलब्धता	वेतनमान	
				लेवल	रुपये में
1	पुलिस उप महानिरीक्षक	01	-	लेवल- 13	118500- 214100
2	अपर पुलिस अधीक्षक	02	01	लेवल- 11	78800- 209200
3	पुलिस उपाधीक्षक	04	02	लेवल- 10	67700- 191000
4	निरीक्षक/ प्रतिसार निरीक्षक/ रेडियो निरीक्षक	09	04	लेवल- 8 एवं 9	47600- 151100 44900- 142400
5	उपनिरीक्षक ना0पु0/ पी0सी0	20	08	लेवल- 7	35400- 112400
6	मुख्य आरक्षी स0पु0/ पी0ए0सी0	75	10	लेवल- 4	25500- 81100
7	मुख्य आरक्षी आरमोरर	01	01	लेवल- 4	25500- 81100
8	प्रधान परिचालक रेडियो	18	02	लेवल- 4	25500- 81100
9	आरक्षी (ना0पु0/ स0पु0/ पी0ए0सी0)	394	202	लेवल- 3	21700- 69100
10	आरक्षी आरमोरर	02	04	लेवल- 3	21700- 69100
11	चतुर्थ श्रेणी	66	-	लेवल- 1	19900- 63200
लिपकीय संवर्ग विवरण					
12	निरीक्षक (गोपनीय)	01	00	लेवल- 8	44900- 142400
13	उपनिरीक्षक (गोपनीय/ लेखा/ लिपिक)	03	00	लेवल- 7	35400- 112400
14	सहायक उपनिरीक्षक (लेखा/ लिपिक)	05	01	लेवल- 7	29200- 92300
परिवहन शाखा के कर्मियों तथा आरक्षीगण का विवरण					
15	उपनिरीक्षक परिवहन	01	01	लेवल- 7	35400- 112400
16	मुख्य आरक्षी परिवहन	02	02	लेवल- 4	25500- 81100
17	आरक्षी चालक	87	24	लेवल- 3	21700- 69100

<u>बिन्दु संख्याः 11</u>- सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट –

बजट-व्यय से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट- Koshvani.up.nic.in के उपषीर्शक 026 - गृह (पुलिस) के अन्तर्गत उपलब्ध है।

<u>बिन्दु संख्याः 12</u>- सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित हैं-

इस विभाग द्वारा उक्त प्रकार का कोई कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाता है।

<u>बिन्दु संख्याः 13</u>- विभाग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ-

आतंकवाद निरोधक दस्ता, उत्तर प्रदेश द्वारा कोई भी परमिट अथॅराइजेशन अथवा कन्सेशन निर्गत नहीं किया जाता है।

<u>बिन्दु संख्याः 14</u>- किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों -

इस विभाग पर लागू नहीं है।

<u>बिन्दु संख्याः 15</u>- सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है, तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं-

मुख्यालय स्तर पर आम नागरिक के उपयोग के लिए पुस्तकालय अथवा वाचन कक्ष की व्यवस्था नहीं है।

<u>बिन्दु संख्याः 16- लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ-</u>

जन सूचना अधिकार	नाम	पदनाम	टेलीफोन नम्बर	
			कार्यालय	सी.यू.जी.
अपीलीय अधिकारी	डा.जी.के.गोस्वामी	पुलिस महानिरीक्षक	0522-2304588	9454400650
जनसूचना अधिकारी	श्री बबलू कुमार	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	0522-2304587	9454400317
सहायक जनसूचना अधिकारी	श्री सवि रत्न गौतम	पुलिस उपाधीक्षक (कार्यालय)	-	9454401658

<u>विन्दु संख्याः 17</u>- ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाये-

शून्य।